राजस्थान–सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकःएस्टे / डीईएस / विविध / 52 / 2021 / 03 दिनांक : 03.01.2022

परिपत्र

प्रायः देखने में आया है कि विभाग के नियंत्रणाधीन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (जैसे कनिष्ठ सहायक, संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी) के रूप में नियुक्त कर्मचारी बिना सूचना एवं सक्षम स्तर से बिना स्वीकृति के अवकाश का उपभोग करते हैं। साथ ही ऐसे अवकाश प्रकरणों को स्वीकृति हेतु कार्यालय में समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे अवकाश प्रकरणों को निस्तारित करने में अनावश्यक विलम्ब होता है, इसे शासन सचिव महोदय द्वारा बडी गम्भीरता से लिया गया है।

अतः इस संबंध में समस्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को स्पष्ट तौर पर कडी चेतावनी जारी की जाती है कि सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही अवकाश पर प्रस्थान करे तथा अवकाश उपभोग के पश्चात् तत्काल कार्यालय में उपस्थित होवें एवं समय पर अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। बिना सक्षम स्वीकृति के यदि कर्मचारी अवकाश पर जाता है तो उसके अवकाश प्रकरण पर बिना किसी ठोस कारण के विचार नहीं किया जावेगा एवं ऐसे कार्मिकों के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के तहत नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त शाखा प्रभारी, निदेशालय मुख्यालय।
4. नोडल अधिकारी आई.टी. मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त उप / सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला ....।
6. समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी।
7. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली।

(आकाश पाठक)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)